

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

प्रज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

सुवानाथ

बनाम शंकर नाथ

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 192/2021 500 फर

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/10
2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज
रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती सुवानाथ

पिता श्री येना नाथ

निवासी- ओड़ुन् तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम
स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 129/1679

136/1672, 137, 138, 139/1683

कुल कीता 5 कुल रकबा 1.4600 है0 की पत्थरगढी
कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज
रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम ओड़ुन् स्थित खातेदारी की भूमि आराजी
नम्बर 129/1679, 136/1672, 137, 138, 139/1683

कुल कीता 5 रकबा 1.4600 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी
किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का
खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 150000 रूपये अक्षरे एक हजार पचास हजार
प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर
पेश हो।

(श्याम सुन्दर बिरसाई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)



ता. की.
33
20/10/21